



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 11621 / अका. / सम्बद्धता / 2013

रायपुर, दिनांक : 16 / 08 / 2013

॥ आदेश ॥


विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013 की अनुशंसानुसार एवं आगामी कार्यपरिषद् के निर्णय एवं अनुमोदन की प्रत्याशा में वीरांगना अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय, छुईखदान, जिला-राजनांदगांव को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :-

क्र.	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.A. (पूर्व सीट संख्या-100)	सीट वृद्धि- 50	2013-14
2.	एम.ए. अंतिम - भूगोल	20	

शर्तें :-

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- महाविद्यालय का अलग से भवन एवं स्वीकृत पदों पर शिक्षकों की पदस्थापना अनिवार्य है। 30 सितम्बर, 2013 तक निर्धारित शिक्षकों की व्यवस्था किया जावे।
- बी.ए. की कक्षा हेतु 50-50 दो सेक्शन में संचालित हो। अतः उक्त कमियों की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।
- जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।

आदेशानुसार,


उप कुलसचिव (अका.) 14/8

पृ. क्रमांक : 11622 / अका. / सम्बद्धता / 2013

रायपुर, दिनांक : 16 / 08 / 2013

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)